न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
59 / 2022	25.02.2022	20-7-2022

उनवान

1. महेशचन्द पुत्र धीसालाल जाति जोगी निवासी बुचाहेडा तह0 कोटपूतली,जयपुर।

—प्रार्थी / वादी।

बनाम

1. उमेश पुत्र बुद्वराम जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
2. उर्मिला पुत्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
3. हरिप्रसाद पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
4. कृष्णकुमार पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
5. कैलाश पुत्र रिछपाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
6. चन्द्रकांत पुत्र ईश्वरलाल उर्फ बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
7. पुनम पुत्री ईश्वरलाल उर्फ बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
8. राजेश पुत्र ईश्वरलाल उर्फ बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
9. सरोज पुत्री ईश्वरलाल उर्फ बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
10. बसंत पुत्र पुष्पा जाति ब्राहम्ण निवासी ओम अपार्टमेन्ट गीतानगर भवेन्द्र जिला ठाणे मुंबई।
11. रमेश पुत्र पुष्पा जाति ब्राहम्ण निवासी ओम अपार्टमेन्ट गीतानगर भवेन्द्र जिला ठाणे मुंबई।
12. ललीत कुमार पुत्र पुष्पा जाति ब्राहम्ण निवासी ओम अपार्टमेन्ट गीतानगर भवेन्द्र जिला ठाणे मुंबई।
13. शकुंतला पुत्री पुष्पा जाति ब्राहम्ण निवासी ओम अपार्टमेन्ट गीतानगर भवेन्द्र जिला ठाणे मुंबई।
14. जगदीश प्रसाद पुत्र ईन्द्रमणि जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
15. लालचन्द पुत्र ईन्द्रमणि जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
16. लालमणि पुत्र ईन्द्रमणि जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
17. हजारी लाल पुत्र ईन्द्रमणि जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
18. सत्यनारायण पुत्र ईन्द्रमणि जाति ब्राहम्ण निवासी कोलीला,नीमराना।
19. विजय कुमार पुत्र जजानकीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी नाघोडी,नीमराना।
20. पवन पुत्र लक्ष्मण प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी नाघोडी,नीमराना।
21. उप पंजीयक नीमराना।
22. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।
23. कुलदीप यादव पुत्र रामनिवासी यादव निवासी आसपुरा तह0 कोटपूतली,जयपुर।

अप्रार्थीगण।

(दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपरिथती:—1 श्री नितिन यादव एड0 प्रार्थी की ओर से।
2 श्री मनीष यादव व सुरेन्द्र कुमार शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से।

—::निर्णय::—

दिनांक :— 20.7.2022

...खण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज. ...वली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. प्रार्थी / वादी ने दावा पेशकर उसके साथ प्रा0 पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. हाल 138/0.44,139/0.21,140/0.32 वाके ग्राम माजरा काठ तह0 नीमराना के 1/18 हिस्से का मिन प्रार्थी / वादी खातेदार काश्तकार है। तथा शेष आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी मे मुताबिक हिस्सा जमाबंदी दर्ज है। जो आराजी मिन प्रार्थी / वादी व अप्रार्थी / प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी मे दर्ज है जिसका बंटवारा नही हुआ है। मिन प्रार्थी द्वारा आराजी का तकासमा कराने हेतु अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया परन्तु तकासमा कराने के लिए तैयार नही हुआ दिनांक 20.02.2022 को मिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से तकासमा कराने के लिए कहा तो साफ इकार हो गये। अप्रार्थीगण बिना तकासमा कराये ही अच्छी से अच्छी आराजी को अपनी बताकर रास्ते से लगाती हुई भूमि को जबरन बेचान करना चाहते है। इसलिए वादी को यह वाद तकासमा आराजी व हुक्म ईम्तानाइ दवामी का वाद पेश कर उसके साथ यह प्रा0पत्र धारा 212 आर0टी.एक्ट0 पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द किया जावे कि वे आराजी ख.नं. हाल 138/0.44,139/0.21,140/0.32 वाके ग्राम माजरा काठ तह0 नीमराना का मौके पर बाहमी बंटवारे के मुताबिक तहसीदार नीमराना की रिपोर्ट के आधार पर विधिवत रूप से तकासमा होकर अलग खाता बन्दी नही हो जावे तब तक किसी भी भू भाग पर जबरन कब्जा न करे ना ही किसी भू–भाग को अपना बताकर रहन बय करे। ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करे। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

3. प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 25.02.2022 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की दिनांक 25.04.2022 आराजी विवादित ख.नं. 138,139,140 वाके माजरा काठ मे किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध मे जो भी उजरा हो हाजिर अदालत हो कर अपना जवाब पेश करे। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया बाद तामिल अप्रार्थीगण सं. 01, 03 लगा. 17,19 व 20की ओर से प्रार्थी के प्रा0 को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि प्रार्थी का उक्त आराजीयात से कोई लेना देना नही है ना ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने विवादित आराजी मे अपने निहित हिस्से को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर चुका है। प्रार्थी आराजीयात के तकासमा एवं अन्य अनुतोष बाबत वाद पेश करने का अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी मे दर्ज है। जिसमे प्रार्थी का 1/18 हिस्सा है। तथा शेष रकबा समस्त अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। नकल निर्णय दिनांक 27.08.2019 न्यायालय श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के अवलोकन से भी साबित है कि प्रार्थी/ वादी द्वारा पूर्व मे भी इसी आराजी के बाबत वाद दायर किया था। जिस निर्णय मे भी यह उल्लेख किया हुआ है कि प्रार्थी महेशचन्द (असल रेस्पो0) ने आराजी का बेचान कर दिया था। और कब्जा केता को संभला दिया था तो ऐसी स्थिति मे उसे स्थाई निषेधाज्ञाा का दावा लाने का अधिकार नही हैं। इस निर्णयानुसार यह तथ्य साबित है कि आराजी विवादित पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही हैं। चुकि हक हकूकों का निर्णय मूल वाद मे साक्ष्य सबूत लेकर ही किया जावेगा वर्तमान स्टेज पर केवल पृथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन,नापूर्ति क्षति के बिन्दुओ पर ही देखा जाना है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

5. पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी के अनुसार आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी मे दर्ज है। किसी भी सहखातेदार को उसकी आराजी के उपभोग,उपयोग हेतु कानूनन पाबन्द नही किया जा सकता। नकल निर्णय माननीय न्यायालय आर०ए०ए० के अनुसार भी प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नही होता है। ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। तथा ना ही प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति होने का अंदेशा भी प्रतित नही होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नही होता है। प्रा०पत्र काबिल खारिज है।

6. अतः आदेश है कि:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०एक्ट० बाबत आराजी ख.नं. हाल 138/0.44,139/0.21,140/0.32 वाके ग्राम माजरा काठ तहसील नीमराना साबित नही होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे जारी टी०आई० आदेश दिनांक 25.02.2022 को अपास्त करते हुए खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहें।

यह निर्णय आज दिनांक 20-7-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना